


5 INCH
INDIA
NOTARIAL
SUBJECTIVE

5 INCH
INDIA
NOTARIAL
SUBJECTIVE

INDIA NON JUDICIAL

UTTARAKHAND

13AA 679872



संलग्न शपथ पत्र

केवला नन्द पुत्र लारादत्त

कि गाँव रुर्गापाळपुर पाला

पे जोरादत्तदु सह (लाकडुका)

कि का नैकीसाल

59 - हलहाली

26

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं, पुत्र / पुत्री / पत्नी

..... आयु वर्ष, जो का / की निवासी हूँ

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित
कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की
अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी
प्रस्तुत करेगा / करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.....
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण,
जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे.....
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है /
हैं.....

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की
उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से
भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास
से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित
जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं.....
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... जिला (जिले)..... राज्य.....
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त
विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं.....

स्थान :

तारीख :

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

..... स्थान पर आज तारीख..... को
सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

IDENTIFIED BY:

Certified that Sri/Smt. Kemala Anand
be Deponent Identified by S. P. Verma
Sworn before me at Patna
the Affidavit
on Date 12.11.20 11.0.20

(M. C. PATHAK)
Notary, HALDWAR
Distt. Nainital (U.K.)

115

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या: 3/ई0आर0/2011/एस.डी.आर

दिनांक : 25 फरवरी, 2011

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय:-

आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसंपत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में शपथपत्र दाखिल करने के लिए परिशोधित फार्मेट - अम्बर्थियों द्वारा उनके नामनिर्देशन प्रत्र सहित दाखिल किए गए शपथपत्र ।

महोदय/महोदया,

सिविल अपील संख्या 2002 की 490 में दिनांक 13 मार्च, 2003 के निर्णय तथा आदेश के अनुसरण में आयोग ने दिनांक 27 मार्च, 2003 के आदेश सं0 3/ई.आर./2003/जे.एस-11 के द्वारा एक फार्मेट निर्धारित किया है जिसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अम्बर्थियों द्वारा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्पत्ति, देयता तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में सूचना देते हुए शपथपत्र दाखिल करना होता है ।

2. तब से अनुभव के आधार पर, आयोग ने अम्बर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में निर्वाचकों को और बेहतर तथा प्रभावी सूचना देने के लिए फार्मेट में कुछ संशोधन किए हैं । शपथपत्र का नया फार्मेट इसके साथ संलग्न है । यह फार्मेट अब से सभी निर्वाचनों के लिए प्रयोग किया जाएगा ।

3. नया फार्मेट राज्य में सभी निर्वाचन अधिकारियों में परिचालित किया जाए तथा आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में, सभी राजनीतिक पार्टियों (मान्यता प्राप्त पार्टियों की राज्य ईकाईयों सहित) के संज्ञान में लाया जाए ।

भवदीय,

इ/0

(के0एफ0विलफेड)

प्रमुख सचिव